भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *12

02 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात उद्योग

***12. श्री टी.आर. बालू:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नीतिगत सहायता, संसाधनों के कार्यक्षम उपयोग तथा अनुसंधान एवं विकास संकेन्द्रित उत्पादन संबंधी नवप्रवर्तन के माध्यम से घरेलू इस्पात उद्योग को सुदृढ़ करने तथा इस्पात उद्योग में सतत प्रचालनों की स्थिति हासिल करने के लिए और अधिक कदम उठाए जाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए/किए जाने हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"घरेलू इस्पात उद्योग" के बारे में श्री टी. आर. बालू, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए एवं दिनांक 02/02/2022 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *12 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): इस्पात के एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करके, एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का ध्येय इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इस्पात उत्पादन में 'आत्म निर्भरता' प्राप्त करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए, की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया गया है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग इकाई का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 को संपूरित करेगा, जिससे टिकाऊ इस्पात बनाने की सुविधा हेतु स्क्रैप की उपलब्धता में वृद्धि हो सके।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ सहभागिता।

(viii) सभी संबंधित हितधारकों की सहभागिता के साथ कार्यकुशलता संधारणीयता और आधुनिकीकरण के लिए इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का एक इको-सिस्टम सृजित किया गया है।

****